

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम

फारुख वीर

किरम मुकदमा

वार-प

नं

48/2024

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
01 16/2025 मौलाना	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2, 3 के कागज मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्तव अंतर प्रतिवादी सं. 1, 4 व कागज मुकाम प्रतिवादी सं. 2, 3 दिनांक 11/02/2025 को पेश है। 5.00	
11/02/2025	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अवरकार पर होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/3/25 को पेश की जावे। 5.00	
11/03/2025	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। प्रेकार करणार वकील प्रतिवादी सं. 01 के जखब प्रतिवादी सं. 01 की ओर से No. instruction कर प्रतिवादी के सम्पर्क में वही लेख का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 01 को सूचना के लिए शामिल जारी किए जावे। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2, 3 के कागज मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्तव अंतर प्रेकार व करणार के लिए शामिल प्रतिवादी सं. 01 व प्रति. सं. 2, 3 कागज मुकाम दिनांक 08/04/2025 को पेश है। 5.00	No instruction प्रतिवादी सं. 1 को पत्रावली के सम्पर्क में 34/2/25 23/2
8/25	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अवरकार पर होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/5/25 को पेश की जावे। 5.00	
01/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को	5.00



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

वारेन्ड नं० २

बनाम

५ लखन

किस्म मुकदमा

वारेन्ड

नं०

५४

सन्

२०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बाबजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल कुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	